मु. नं. ....

कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ

-7.17 पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प छीपाबड़ौद पर आज पेश हुई। [illegible] किये उप. / तहसीलदार छीपाबड़ौद ने निम्न प्रकार से प्राप्त की किया जाना प्रार्थना निम्न सहखातेदार विवादित आराजी बाबत उनके बीच आपसी की आराजी का पृथक-पृथक विभाजन सहखातेदार किया जाता है।

	नाम खातेदार	खसरा नं.	रकबा	लगान
1.	कालीचरण नागा पुत्र धूलीलाल नागा की बली माया रामप्यारी पुत्र राम प्यारी पत्नी स्व. धूलीलाल कोटलोया निवासी [illegible]	1117/269	2.17	2.48
2.	विनोद कुमार, राजकुमार, पुत्र प्रकाशचन्द्र जाति महाजन नि. छीपाबड़ौद हि 13/17 दिनेश कुमार गुप्ता पुत्र युगलकिशोर हि. 2/15 जाति महाजन ना. छीपाबड़ौद ज्ञानीबाई पत्नी त्रिलोकचन्द हि. 26/255 कोम छीपा ना. छीपाबड़ौद	नि 1117/269	1.00	0.87
3.	हरिश्चन्द्र, नन्दकिशोर, रामस्वरूप, राजू पुत्र दुर्गालाल, मंजूबाई पुत्री दुर्गालाल, कस्तूरीबाई पत्नी स्व. दुर्गालाल जाति गाडरी निवासी लाम्बाखेड़ा	नि 1117/269	7.12	6.61

उपरोक्तानुसार विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार छीपाबड़ौद को आदेशित किया जाता है तदनुसार आदेश डिक्री पत्र जारी हो पत्रावली नतीजा शुमार होकर बाद तामील तकमील के दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

अन्तिम **डिक्री**

वाद संख्या 92/14	धारा अंतर्गत 53,188 RTA	निर्णय दिनांक 7-7-17
समक्ष - श्री हीरालाल वर्मा RAS उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद		
उपस्थिति – अभिभाषक वादी श्री M.K.D. Ad.	अभिभाषक प्रतिवादी	

वाद शीर्षक

1- दुर्गालाल पुत्र हीरालाल जाति गाडरी निवासी लामाखेड़ी (मृतक) के वारसान
1/1 नन्दकिशोर पुत्र दुर्गालाल 1/2 रामनिवास पुत्र दुर्गालाल
1/3 हरिप्रसाद पुत्र दुर्गालाल 1/4 राधाबाई पुत्री दुर्गालाल
1/5 मोहनबाई पुत्री दुर्गालाल 1/6 कस्तूरीबाई पत्नी स्व. दुर्गालाल जाति गाडरी
निवासी लामाखेड़ी हाल मुकाम गायत्री आश्रम के पास हीरापुरकलां

बनाम

1- धूलीलाल पुत्र किशनलाल (मृतक) के वारसान मुकामात
1/1 रामप्यारी बेवा धूलीलाल 1/2 कैलाश कुमार पुत्र धूलीलाल नागर
जाति नागर

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

प्रारूप विभाजन प्रस्तावानुसार विवादित काश्तकारी वाके ग्राम हीरापुर कलां की काश्तकारी का पृथक-पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :-

नाम काश्तकार	खसरा नं.	रकबा	लगान
1- कैलाश नागर पुत्र धूलीलाल नागर की वली माता रामप्यारी खुद रामप्यारी पत्नी स्व. धूलीलाल कौम जोशी निवासी झनझनी	1117/269	2.17	2.48
2- विनोद कुमार, राजकुमार पुत्र श्यामबिहारी जाति महाजन नि. छीपाबड़ौद हि. 13/17, दिनेश कुमार गुप्ता पुत्र जुगलकिशोर हि. 2/15 जाति महाजन नि. छीपाबड़ौद, डालीबाई पत्नी त्रिलोकचन्द हि. 26/255 कौम छीपा नि. छीपाबड़ौद	1117/269	1.00	0.18

साथ ही निम्नानुसार.........................रू0 का व्यायानुतोष...........................द्वारा..........................को प्रदान किया जाए

आज आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक...........................को निर्गत किया गया

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां (राज.)

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्ययमद	वादी	प्रतिवादी
1.	वादपत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5.	पारीश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य मांग पूर्ति		
9.	ब्याज (%)		
10.	योग		

Scanned by CamScanner

2. विनोद कुमार पुत्र श्यामबिहारी जाति महाजन
3. राजकुमार पुत्र श्यामबिहारी जाति महाजन
4. दिनेश कुमार पुत्र युगलकिशोर जाति महाजन
5. द्रोपती उर्फ डोलीबाई पत्नी त्रिलोकचन्द जाति महा...
ग्राम छीपाबड़ौद तह॰ छीपाबड़ौद
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबड़ौद

गैर सायलान — ख॰ नं॰ रकबा

3. हरिशचन्द, नन्दकिशोर, रमाशंकर, राजू पुत्र दुर्गालाल, मंजूबाई पुत्री दुर्गालाल, कस्तूरीबाई पत्नी स्व॰ दुर्गालाल जाति गाडरी निवासी लालगढ़ — मि $\frac{1117}{269}$ — 7.12

उपरोक्तानुसार विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य इन्द्राज विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल द... करते हुये तहसीलदार छीपाबड़ौद को आदेशित किया जा...

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बा...

Scanned by CamScanner

निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प दीगोदखालसा
द्वारा श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां

प्रकरण संख्या :— 92/14 दावा
दायरा दिनांक :— 01.08.2014
निर्णय दिनांक :— 18.05.2017

उनवान

1. दुर्गालाल पुत्र हीरालाल जाति गाडरी निवासी लाम्बाखेडा हाल मुकाम गायत्री आश्रम के पास दीगोद खालसा (मृतक) के कायम मुकामान
1/1 नन्दकिशोर पुत्र दुर्गालाल
1/2 रामस्वरूप पुत्र दुर्गालाल
1/3 हरिशचन्द पुत्र दुर्गालाल
1/4 राजूबाई पुत्री दुर्गालाल
1/5 मन्जूबाई पुत्री दुर्गालाल
1/6 कस्तूरीबाई पत्नी स्व. दुर्गालाल जाति गाडरी निवासी लाम्बाखेडा हाल मुकाम गायत्री आश्रम के पास दीगोद खालसा तहसील छीपाबडौद

बनाम

1. धूलीलाल पुत्र किशनलाल (मृतक) के कायम मुकामान
1/1 राममूर्ति बेवा धूलीलाल
1/2 अनिल कुमार पुत्र धूलीलाल नाबा0 जर्ये वली माता राममूर्ति बेवा धूलीलाल जाति लोधा निवासी झनझनी हाल मुकाम छीपाबडौद
2. विनोद कुमार पुत्र श्यामबिहारी जाति महाजन
3. राजकुमार पुत्र श्यामबिहारी जाति महाजन
4. दिनेश कुमार पुत्र जुगलकिशोर जाति महाजन
5. द्रोपती उर्फ दोलीबाई पत्नी त्रिलोकचन्द जाति छीपा निवासी गण छीपाबडौद तहसील छीपाबडौद
6. राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबड़ौद जिला बारां

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :— 18.05.2017

अभिभाषक उपस्थित :— 1. श्री महेन्द्रसिंह ढोडरिया वादी
2. श्री बृजमोहन मालब प्रतिवादी
3. श्री राजकुमार वैष्णव प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीग के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम दीगोद खालसा में स्थित खाता संख्या 162 में

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबडौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

स्थित ख0नं0 269/2 रकवा 11.09 बीघा वादी एवं प्रतिवादी कम 1 ता 5 के शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है। जिसमें वादी का हिस्सा 114/172 निहित है। उक्त आराजी संयुक्त खातेदारी की होने से वादी को लगान राज जमा कराने में एवं उक्त आराजी का आधुनिक तरीके से विकास करने में करफी असुविधा होती है जिससे वादी को उक्त आराजी का बंटवारा कराया जाना एवं पृथक से अपने खातेदारी में दर्ज कराया जाना अति आवश्यक हो गया है। वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार उक्त विवादित आराजी का बंटवारा करवाने के लिए कहा परन्तु प्रतिवादी गण तैयार नहीं हुए तथा उक्त आराजीयात में से प्रतिवादी गण बिना बंटवारे के प्लाट काटकर बेचान करने पर तत्पर है। उक्त आराजीयात में से बिना विभाजन कराये प्रतिवादी कम 1 अपने हिस्से की भूमि में प्लाट काटकर बिना बंटवारा कराये मनमाने ढंग से पर्टीकूलर स्थान पर जो वादी के हिस्से में है पर जबरन बल पूर्वक कब्जा कर बेचान करने को तत्पर है।

प्रतिवादी को उक्त आराजी में से अपने हिस्से का राजस्व रिकार्ड में बंटवारा कराये बिना काबिज होने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं तथा वादी प्रतिवादी गण को स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कराने का अधिकारी है। वादी का दिनांक 19.07.2014 को प्रतिवादी गण से बंटवारा एवं सीमाज्ञान कराने तथा उसके वाद विकय करने की कहने एवं प्रतिवादी कम 1 द्वारा मना करने एवं दिनांक 20.07. 2014 को बिना बंटवारा कराये जमीन में प्लाटों का विकय करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। यही तारीख वाद कारण करार दी जाती है। वादी द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी गण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी गण की और से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश हुआ, वादी ने अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जमाबन्दी ग्राम दीगोद खालसा सम्वत् 2067-70 खाता संख्या 162 पेश कि गई। वादी एवं प्रतिवादी गण को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किये गये। वादी एवं प्रतिवादी गण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प दीगोद खालसा पर उपस्थित हुए। वादी एवं प्रतिवादी गण के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प दीगोद खालसा पर उपस्थित होकर सहमति के आधार पर विवादित आराजी क बंटवारा कराने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया। पक्षकारान को सुना गया पक्षकारान का कथन है ि हम वादी एवं प्रतिवादी गण आपसी सहमति के आधार पर विवादित आराजी का कब्जे एवं हिस्से आधार पर विभाजन कराना चाहते है इसमें हम पक्षकारान को कोई आपत्ति नहीं हैं।

उभयपक्षकारान् को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न जमाबन्दी ग्राम दीगोद खालसा सम्वत् 2067-70 खाता संख्या 162 के अनुसार विवादित आराजी एवं प्रतिवादी गण के शामलाती खातेदारी में दर्ज हैं। वादी एवं प्रतिवादी गण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थन पढ कर सुनाया गया एवं समझाया गया। वादी एवं प्रतिवादी गण द्वारा राजीनामा पढ कर सुन व समझने के वाद पत्रावली पर हस्ताक्षर किये गये एवं सहमति जाहिर की गई। वादी एवं प्रतिवादी ग विवादित आराजी का आपसी सहमति के आधार पर राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार स्वीकार किया जाना न्यायौचित है।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प दीगोद खालसा पर पक्षकारान की आपसी सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम दीगोद खालसा के खसरा नंबर 269/2 रकबा 11.09 बीघा में वादी एवं प्रतिवादी गण के मध्य कब्जे एवं हिस्से के अनुसार पृथक–पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार छीपाबडौद को आदेशित किया जाता हैं। तद्नुरूप प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हीरालाल वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां